रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072022-237055 CG-DL-E-04072022-237055

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 476] No. 476] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 2022/ आषाढ़ 13, 1944 NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 2022/ASHADHA 13, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2022

सं. 12/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.िन. 510(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.िन. 793 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

- 1. उक्त अधिसचना में, सारणी में,-
- (i) क्रम संख्या 5ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5ग.	2710 12 43	12% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो कि मिश्रण हो, -	शून्य
		(क) आयतन के हिसाब से 88% मोटर स्प्रिट(सामान्यतया	
		जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), जिस पर यथोचित	

4486 GI/2022 (1)

		उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, और 12% एथेनॉल जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो, का भुगतान कर दिया गया हो, का; और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विशिष्टीकरण IS 17586 को पूरा करता हो।	
5D	2710 12 44	15% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो कि मिश्रण हो, - (क) आयतन के हिसाब से 85% मोटर स्प्रिट(सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), जिस पर यथोचित उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, और 15% एथेनॉल जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो, का भुगतान कर दिया गया हो, का; और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विशिष्टीकरण IS 17586 को पूरा करता हो।	शून्य ";

(ii) क्रम संख्या 6 के समक्ष, "वनस्पित तेलो से अभिप्रप्त वसीय अम्लों की दीर्घ श्रृंखला के एल्किल एस्ट्रो के साथ सिम्मिश्रित उच्च गित डीजल तेल, जो सामान्य रूप से जैविक डीजल के रूप में ज्ञात है" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और " एकीकृत कर का संदाय किया गया हो", शब्दों से समाप्त होने वाले हिस्से के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"आयतन के हिसाब से 20% तक के बायो डीजल के मिश्रण वाले हाई स्पीड़ डीजल ऑयल, जो कि मिश्रण हों 80% या इससे अधिक के हाई स्पीड डीजल, जिस पर यथोचित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो और 20% तक बायो डीजल, जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो का भुगतान कर दिया गया हो":

 उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण 2 में, अंक और अक्षर "5ख", के पश्चात अंक और अक्षर ",5ग, 5घ" को अंत: स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/295/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.िन. 793 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 01/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2022, सा.का.िन. 90 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2022 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 4th July, 2022

No. 12/2022-Central Excise

G.S.R. 510(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

- 1. In the said notification, in the Table, -
- (i) after Sl. No. 5B and the entries relating thereto, the following Sl. Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5C.	2710 12 43	12% ethanol blended petrol that is a blend, -	Nil
		(a) consisting, by volume, of 88% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 12% ethanol on which the appropriate central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case maybe, have been paid; and	
		(b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 17586.	
5D	2710 12 44	15% ethanol blended petrol that is a blend, -	Nil";
		(a) consisting, by volume, of 85% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 15% ethanol on which the appropriate central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case maybe, have been paid; and	
		(b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 17586.	

(ii) against Sl. No. 6, for the portion beginning with the words "High speed diesel oil blended with alkyl esters of long chain fatty acids obtained from vegetable oils" and ending with the words "integrated tax, as the case maybe, have been paid", the following shall be substituted, namely: -

"High speed diesel oil blended with bio -diesel, up to 20% by volume, that is, a blend, consisting 80% or more of high speed diesel oil, on which the appropriate duties of excise have been paid and, up to 20% bio -diesel on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case maybe, have been paid.";

2. In the said notification, in Explanation 2, after the figure and letter "5B", the figures and letters ",5C, 5D" shall be inserted.

[F.No. CBIC-190354/295/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note: The principal notification No. 11/2017-Central Excise, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 793(E), dated the 30th June, 2017 and last amended *vide* notification No.01/2022-Central Excise dated the 1st February, 2022, *vide* number G.S.R. 90 (E), dated the 1st February, 2022.